

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा  
पत्रांक ४५३ / १४-१ आगरा : दिनांक : जुलाई २६, २०२२  
सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-२  
लोक निर्माण विभाग, आगरा।

विषय :- जनपद आगरा में चंदौसी-आगरा-तांतपुर कोट मार्ग एस०एच०-३९ के किमी० ०.  
२३६ के चैनेज २३५.०३० ग्राम रैना नगर तहसील खेरागढ़ एवं मी० २४५ के चैनेज  
२४४.०१० ग्राम सरेंधी तहसील खेरागढ़ पर निर्माण खण्ड-२ लोक निर्माण विभाग  
आगरा द्वारा राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत राज्य मार्ग सं०-३९ की बांयी  
पटरी पर प्रस्तावित दो ट्रक ले बाई निर्माण कार्य हेतु ०.४०८ है० संरक्षित वनभूमि के  
गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : भारत सरकार का पत्रांक-४बी/यू.पी./०६/१४३/२०२२/एफ.सी./२७३ दिनांक  
२०.०७.२०२२ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का  
पत्रांक-२८६/११सी-१ दिनांक २२.०७.२०२२.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा  
विषयगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का तत्काल निस्तारण करते हुए बिन्दुवार अनुपालन  
आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें

अल्फ्रेड

A. K. R.

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक

४५३

दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी आगरा को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित  
कि आप विषयगत प्रकरण में प्रस्तावित स्थल पर गूगल इमेज पर वृक्ष प्रदर्शित हो रहे हैं, के कम  
में आप प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें कि प्रस्तावित स्थल में  
किसी वृक्ष का पातन तो नहीं किया जाना है।

A. K. R.

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।